


- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं वंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा कठौती के खेत खसरा नंबर 1558/2091 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, ख.न 732 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, ख.न 810 रकबा 1.5459 हैक्टेयर, खसरा नंबर 344 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, ख.न. 364 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 को प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल पुत्र लादुराम खाता संख्या 601, 603 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया वादग्रस्त खेतियों की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य मुताबिक ईकवालिया जबाब एवं वादी वाद पैरा संख्या 2 के उप पैरा क से ख अनुसार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी विरमाराग के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 1558/2091 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 42 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, ख.न 810 रकबा 1.5459 हैक्टेयर, ख.न. 364 रकबा 1.6187 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 732 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, ख.न 344 रकबा 2.1044 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के हक बंट कब्जा काश्त में कोई भूमि नहीं रखी गई है।
4. बैंक के रहन खसरा नं यथावत् बैंक के रहन रहेगें (बैंक के रहन होने पर)। संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.8.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलारा सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)

सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायसल-(नागौर)